

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-33/रेडियो / (146)2019 /

दिनांक

आदेश

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक:प.17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 8.2.2018 एव वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.12.2015 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राजस्थान सिविल सेवा पेशन नियम 1996 के नियम 164-ए के अन्तर्गत श्री राधेश्याम सैनी, सेवानिवृत्त अधीक्षक रेडियोग्राफर को समेकित पारिश्रमिक पुर्ननियुक्ति के आधार पर 17400/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित मानदेय पर कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष की अवधि अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिए सविदा पुर्ननियुक्ति की जाती है। इनका पदस्थापन राजकीय डी.बी अस्पताल चूरु के अधीन अधीक्षक रेडियोग्राफर के रिक्त पद पर किया जाता है। इन्हें एक वर्ष में 12 दिवस का वैतनिक आकस्मिक अवकाश देय होगा। उपार्जित अवकाश एव अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

यह आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी संख्या 408 दिनांक 18.3.2019 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो. / (146)2019 / 70

दिनांक : 21/4/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमन्त्री महोदय, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय जयपुर
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय डी बी जनरल जिला अस्पताल, चूरु।
5. श्री राधेश्याम सैनी, सेवानिवृत्त अधीक्षक रेडियोग्राफर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 8.2.2018 की पालना सुनिश्चित करें एव परिशिष्ट 'ख' के अनुसार 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक वचनबद्ध करार सम्पादित करें।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

7

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर